BULANDSHAHR POLICE

दिनांक 23 फरवरी, 2024

"ऑपरेशन कन्विक्शन"अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर दुष्कर्म के आरोपी को 25 वर्ष का कठोर कारावास व 50 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी:-

अवगत कराना है कि सतीश पुत्र लिख्खन निवासी ग्राम लौधान कस्बा व थाना जहांगीराबाद जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2022 में थाना जहांगीराबाद क्षेत्र निवासी एक 05 पांच वर्षीय नाबालिक लड़की के साथ अश्लील हरकतें करना व दुष्कर्म का प्रयास करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके सम्बन्ध में दिनांक 04.11.2022 को थाना जहांगीराबाद पर मुअसं-590/2022 धारा- 376एबी भादवि व 5एम/6 पोक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया तथा दिनांक 26.11.2022 को पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में आरोप पत्रप्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन"के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसमें अभियुक्त के विरुद्ध 04 गवाह परिक्षित हुए जिसके परिणामस्वरुप **आज दिनांक 23.02.2024 को मा0 न्यायालय स्पेशल पोक्सो बुलन्दशहर द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त सतीश को 25 वर्ष का कठोर कारावास व 50 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया।** अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक 1. श्री धर्मेन्द्र राघव 2. श्री भरत भार्मा 3. श्री वरूण कौशिक 4. श्री आशुतोष सिंह का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।

मीडिया सैल बुलन्दशहर